पत्र संख्या–11/वि05–न्याय–09/98 सा0प्र0 11805
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।
सचिव,बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।
सचिव कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , पटना ।
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ।
सदस्य सचिव, पिछडें, वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना ।
सचिव अति पिछडे वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना ।
सचिव, राज्य महादलित आयोग, पटना ।

पटना–15, दिनांक– 17.7.13

विषय :– अन्य पिछड़े वर्गो। (ओ0बी0सी0) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वार्गों (सम्पन्न वर्गो) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों का संशोधन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–154, दिनांक 28.07.2000 द्वारा निदेशित किया जा चुका है कि जब तक क्रीमीलेयर को राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा से अलग रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा नये निदेश जारी नहीं किये जाते है,तब तक इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेश का अनुपालन राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण के संबंध में किया जायेगा । तद्लोक मे विभागीय पत्रांक 7808, दिनांक 25.11.2008 द्वारा आय/ सम्पति का निर्धारण 4.5 लाख निर्धारित किया गया ।

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्रांक–36033/1/2013 स्था0 (आरक्षण), दिनांक 27 मई, 2013 द्वारा आय/सम्पति के निर्धारण को संशोधित करते हुए 4.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया है, जिसे राज्य में लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है ।

अतः भारत सरकार के उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय एवं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी अवगत कराने की कृपा की जाय ।

अनु0– यथावत्।

विश्वासभाजन
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–11/वि05–न्याय–09/98 सा0प्र0 11805 पटना :– 15 दिनांक 17.7.13

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव।

FILE PATH: D/ASHOK SIR/LETTER.DOCX